ENVIRONMENTAL CLEARANCE

PARIVESH

(Pro-Active and Responsive Facilitation by Interactive, and Virtuous Environmental Single-Window Hub)

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Issued by the State Environment Impact Assessment Authority(SEIAA), CHHATTISGARH)

To,

The Head - Corporate Affairs
SARDA ENERGY AND MINERALS LIMITED
M/s Sarda Energy & Minerals Limited 1st Floor, Vanijya Bhawan, Jail Road, Devendra Nagar Square, Raipur (C.G.). -492001

Subject: Grant of Environmental Clearance (EC) to the proposed Project Activity under the provision of EIA Notification 2006-regarding

Sir/Madam,

This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC) in respect of project submitted to the SEIAA vide proposal number SIA/CG/CMIN/453030/2023 dated 22 Nov 2023. The particulars of the environmental clearance granted to the project are as below.

1.	**EC Identification No.**	**EC24B001CG137371**
2.	**File No.**	OL/EC/MIN/RAIGARH/2786
3.	**Project Type**	Expansion
4.	**Category**	B
5.	**Project/Activity including Schedule No.**	1(a) Mining of minerals
6.	**Name of Project**	Expansion of Karwahi Open cast Coal Mine (Gare Palma IV/7 Coal Mine) production capacity from 1.44 MTPA to 1.68 MTPA (Stage –II: 40% expansion) within the existing Mine lease under para 7 (ii) as per EIA Notification and its subsequent amendments till date, located at Village-Karwahi, Khamaria, Saraitola, Dholnara & Bajarmuda, Tehsil– Tamnar, District – Raigarh, Chattisgarh by M/s Sarda Energy & Minerals Limited
7.	**Name of Company/Organization**	SARDA ENERGY AND MINERALS LIMITED
8.	**Location of Project**	CHHATTISGARH
9.	**TOR Date**	N/A

The project details along with terms and conditions are appended herewith from page no 2 onwards.

Date: 19/04/2024

(e-signed)
P Arun Prasad
Member Secretary
SEIAA - (CHHATTISGARH)

Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC identification number & E-Sign generated from PARIVESH.Please quote identification number in all future correspondence.

This is a computer generated cover page.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल: seiaacg@gmail.com

क्र. 3363/एस.ई.आई.ए.ए.,छ.ग. / उद्योग / 2758 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांकः 22/3/2024

प्रति,

मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड,
प्रथम तल, वाणिज्य भवन,
रेल रोड, देवेन्द्र नगर स्क्वेयर,
रायपुर (छ.ग.) 492001

विषय :– मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड को क्षमता विस्तार के तहत् ग्राम–करवाही, खम्हरिया, सराईटोला, ढोलनारा, एवं बजरमुड़ा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ में कुल क्षेत्रफल 277.10 हेक्टेयर में Expansion of Karwahi Open cast Coal Mine (Gare Palma IV/7 Coal Mine) production capacity from 1.44 MTPA to 1.68 MTPA (Stage –II: 40% expansion) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में।

संदर्भ :– आपका ऑनलाईन प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / सीएमआईएन / 453030 / 2023, दिनांक 22 / 11 / 2023 एवं अनुवर्ती पत्राचार दिनांक 29 / 01 / 2024.

––:: 00 ::––

उपरोक्त विषयांतर्गत कृपया संदर्भित पत्र दिनांक 22 / 11 / 2023 एवं अनुवर्ती पत्राचार दिनांक 29 / 01 / 2024 का अवलोकन हो।

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / सीएमआईएन / 453030 / 2023, दिनांक 22 / 11 / 2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह कोयला (मुख्य खनिज) खदान है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् खदान ग्राम–करवाही, खम्हरिया, सराईटोला, ढोलनारा, एवं बजरमुड़ा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ में कुल क्षेत्रफल 277.10 हेक्टेयर में Expansion of Karwahi Open cast Coal Mine (Gare Palma IV/7 Coal Mine) production capacity from 1.44 MTPA to 1.68 MTPA (Stage –II: 40% expansion) within the existing Mine lease Area 277.10 hectare के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग 81 करोड़ (वर्तमान में 74 करोड़ तथा क्षमता विस्तार उपरांत 7 करोड़) रुपये होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 509वीं बैठक दिनांक 29/01/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पी.एस. दत्ता गुप्ता, हेड कॉर्पोरेट–अफेयर्स एवं श्री बिरेन्द्र कुमार, डी.जी.एम. इन्व्हायरमेंट एण्ड फॉरेस्ट उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

   i. पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 02/06/2021 को करवाही ओपन कास्ट कोल माईन प्रोजेक्ट सब–ब्लॉक गारे IV/7, कुल क्षेत्रफल– 335.736 हेक्टेयर, कोयला उत्खनन क्षमता–1.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड से मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनेरल्स लिमिटेड के नाम पर की गई।

   ii. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 24/03/023 के माध्यम से भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 11/04/2022 के अनुसार करवाही ओपन कास्ट कोल माईन प्रोजेक्ट सब–ब्लॉक गारे IV/7, कुल क्षेत्रफल– 277.10 हेक्टेयर, कोयला उत्खनन क्षमता– 1.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 1.44 मिलियन टन प्रतिवर्ष (**Stage I-20% expansion**) के क्षमता विस्तार हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।

   iii. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा दिनांक 04/07/2023 पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृतियों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसारः–

      - एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा विस्तृत वृक्षारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
      - ट्रांसपोटेशन प्लान प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
      - कुल माईनिंग लीज क्षेत्रफल का डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।
      - इन्व्हायरमेंटल लैबोरेटरी स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

   उपरोक्त बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण का विस्तृत विवरण सहित प्रस्ताव, ट्रांसपोटेशन प्लान का विस्तृत प्रस्ताव, कराये गये डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर में दिनांक 26/09/2023 को प्रस्तुत की गई है। साथ ही इन्व्हायरमेंटल लैबोरेटरी 01 वर्ष के भीतर स्थापित किये जाने की

जानकारी प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में एन.ए.बी.एल. अधिकृत संस्था मेसर्स इन्व्हायरो एनालिस्ट एण्ड इंजिनियर्स प्राईवेट लिमिटेड से मॉनिटरिंग कराया जाता है तथा अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ प्रेषित की जाती है।

2. **जल एवं वायु सम्मति** – छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा कोल माईनिंग क्षमता – 1.44 मिलियन टन प्रतिवर्ष, हेतु जल एवं वायु स्थापना सह संचालन सम्मति दिनांक 25/05/2023 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 31/03/2024 तक वैध है।

3. **भू–स्वामित्व** – भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 08/03/2021 के माध्यम से वेस्टिंग आदेश (Vesting Order) मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनेरल्स लिमिटेड के नाम से जारी की गई है।

4. **लीज का विवरण** – लीज मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड के नाम पर है। लीज डीड दिनांक 23/11/2021 से 22/11/2051 तक की अवधि हेतु वैध है।

5. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

- निकटतम आबादी ग्राम–करवाही 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन रायगढ़ 30.56 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। वीर सुरेन्द्र साँई विमानपत्तन, झारसुकडा 62.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 11.7 कि.मी. एवं केलो नदी 1.2 कि.मी. तथा पजनीझार नदी 5 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

6. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** –

S.No.	Land use	Area (in HA)
1.	Excavation Area	248.44
2.	External OB Dumb	7.89
3.	Other Uses	1.65
4.	Infrastructure Area	0.60
5.	Green Belt Area	18.52
	Total	**277.10**

7. **प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी** –

S.No.	Block Area	Eariler Granted EC 1.44 MTPA	Proposed Production 1.68 MTPA
1.	Lease Area	277 ha	277 ha
2.	Life of Project	24 years	24 years
3.	Capacity	1.44 MTPA	1.68 MTPA
4.	Mining Technology	Shovel and Dumper Mining, Surface Miner in Coal with Dumpers.	Shovel and Dumper Mining, Surface Miner in Coal with Dumpers.

8. **उत्खनन योजना** – भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 20/06/2022 द्वारा माईनिंग प्लान एण्ड माईन क्लोजर प्लान (1[St] मॉडिफिकेशन) प्रस्तुत किया गया है।

9. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 215.14 मिलियन टन एवं माईनेबल रिजर्व 48.84 मिलियन टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8.6 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट फुल्ली मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 100 मीटर है। खदान से लगभग 102.71 मिलियन टन ओव्हर बर्डन जनित होगा, जिसे डम्प साईट–1 क्षेत्रफल 23.72 हेक्टेयर, डम्प साईट–2 क्षेत्रफल 22.72 हेक्टेयर, डम्प साईट–3 क्षेत्रफल 12.17 हेक्टेयर एवं डम्प साईट–4 क्षेत्रफल 23.8 हेक्टेयर में भण्डारित कर पुनःभराव हेतु संरक्षित रखा जाएगा। बेंच की चौड़ाई 15 मीटर तथा ऊंचाई 6 मीटर है। खदान की संभावित आयु 24 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष	उत्खनन (मिलियन टन)	वर्ष	उत्खनन (मिलियन टन)
2022–23	1.8	2027–28	1.8
2023–24	1.8	2028–29	1.8
2024–25	1.8	2029–30	1.8
2025–26	1.8	2030–31	1.8
2026–27	1.8	2031–32	1.8

10. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 520 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 32 घनमीटर प्रतिदिन, औद्योगिक प्रयोजन हेतु 340 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन में 150 घनमीटर प्रतिदिन, वृक्षारोपण हेतु 150 घनमीटर प्रतिदिन, पुनःभराव / भू–समतलीयकरण हेतु 40 घनमीटर प्रतिदिन, ड्रिलिंग / वाशिंग /वार्क शॉप हेतु 173 घनमीटर प्रतिदिन, फायर फाईटिंग में 15 घनमीटर प्रतिदिन एवं कोल हेडलिंग प्लांट में 54 घनमीटर प्रतिदिन) होगी। जल की आपूर्ति माईन पिट एवं भू–जल के माध्यम से की जाती है। वर्तमान में सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर

अथॉरिटी से 18 घनमीटर प्रतिदिन हेतु अनापत्ति प्राप्त है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पेयजल की आपूर्ति भू–जल से एवं अन्य औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल की आपूर्ति माईन पिट के माध्यम से की जाएगी।

11. **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टीक टैंक एवं सोक पिट स्थापित है। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी. स्थापित है। ई.टी.पी. से उपचार उपरांत जल का पुनः वाशिंग हेतु उपयोग किया जाता है।

12. कोयले का परिवहन खदान से रेलवे साईडिंग तक ट्रकों के माध्यम से किया जाता है। तत्पश्चात् रेलवे साईडिंग से रेल के माध्यम से परिवहन किया जाता है। उपरोक्त व्यवस्था क्षमता विस्तार उपरांत भी रखा जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्रांसपोटेशन रूट प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** -- लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी (8.6 हेक्टेयर) में से वर्तमान में 2.58 हेक्टेयर में 12,900 नग वृक्षारोपण किया गया है। शेष 6.02 हेक्टेयर क्षेत्र में 12,500 नग पौधों का रोपण किया जाना प्रस्तावित है, जिसे वर्ष 2024–25 में 0.8 हेक्टयेर (1,600 नग), वर्ष 2025–26 में 1.842 हेक्टयेर (4,146 नग), वर्ष 2026–27 में 0.729 हेक्टयेर (1,458 नग), वर्ष 2027–28 में 0.378 हेक्टयेर (756 नग) एवं वर्ष 2028–29 में 2.27 हेक्टयेर (4,540 नग) वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आगामी 05 वर्ष हेतु उत्खनन उपरांत उत्खनित क्षेत्र 34.40 हेक्टेयर में पुनःभराव कर 1,72,000 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है, जिसे वर्ष 2024–25 में 6.4 हेक्टयेर (32,000 नग), वर्ष 2025–26 में 7 हेक्टयेर (35,000 नग), वर्ष 2026–27 में 7 हेक्टयेर (35,000 नग), वर्ष 2027–28 में 7 हेक्टयेर (35,000 नग) एवं वर्ष 2028–29 में 7 हेक्टयेर (35,000 नग) वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में उत्खनित क्षेत्र 3 हेक्टेयर में पुनःभराव कर 12,000 नग वृक्षारोपण किया गया है। नियमानुसार 7.5 मीटर पट्टी में हरित पट्टी का निर्माण आवश्यक है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः–**

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 01 मार्च 2022 से 31 मई 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 5 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवलः–**

Concentration level (μg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (μg/m^3)**	**Maximum (μg/m^3)**	**CPCB Standard (μg/m^3)**

$PM_{2.5}$	37.9	57.4	60
PM_{10}	66.2	94.1	100
SO_2	7.5	14.2	80
NO_2	14.3	39.7	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	47.6	64.2	75
Night L_{eq}	37.7	53.7	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणनाः–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 1260 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.035 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 474 पी.सी.यू. प्रतिदिन की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 1,734 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.0482 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल/प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक A (Excellent) के भीतर है।

vi. **जी.एल.सी. की गणनाः–**

S No.	**Parameters (Max. impact of worst case scenario)**	**Max. monitored background Conc. (µg/m3)**	**Incremental GLC (µg/m³)**	**Total GLC (µg/m³)**
1	PM_{10}	94.1	0.132	94.232
2	$PM_{2.5}$	57.4	0.038	57.438
3	SO_2	14.2	0.00006	14.20006
4	NO_2	39.7	0.00002	39.70002

vii. फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

16. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – खदान परिसर में वर्षा जल 7,19,830 घनमीटर प्रतिवर्ष होगी तथा माईन सिपेज से 6,04,460 घनमीटर प्रतिवर्ष होगी। उपरोक्त जल को गारलेण्ड ड्रेन के माध्यम से खदान के भीतर माईन पिट–01 क्षेत्रफल 8.25 हेक्टेयर क्षेत्र में एकत्रित कर रखा जाएगा। माईन पिट से लगभग 1,43,966 घनमीटर प्रतिवर्ष ग्राउण्ड वाटर में रिचार्ज होना बताया गया है।

17. **विद्युत खपत** – खदान हेतु 0.4 मेगावॉट की आवश्यकता होती है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 2 नग 500 के.व्ही.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund allocated (in Lakh Rupees)
8098	1%	80.98	Following activities at Village- Rodopaali, Janpad Panchayat Tamnar, Dist-Raigarh, Chhattisgarh.	
			Development of ECO Park	32.20
			Development of ECO Park	15.41
			Total (A)	**47.61**
			Following activities at Village- Taraimaal, Maa Banjari Mandir Samiti, Tehsil- Gharghoda, Dist-Raigarh, Chhattisgarh.	
			Development of ECO Park	22.88

			Plantation around Village Pond	15.15
			Total (B)	**38.03**
			Grand Total	**85.64**

i. सी.ई.आर. के अंतर्गत ''ईको पार्क निर्माण (Ecological Park)'' (नीम, बरगद, बेल, कदम, जामुन, पीपल, आंवला, सीसम, अर्जुन आदि) 1,500 नग वृक्षारोपण हेतु पौधों के लिए राशि 7,50,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 4,40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,50,000 रूपये, सिंचाई (बोरवेल सहित) के लिए राशि 2,00,000 रूपये, तथा रख–रखाव आदि (गेट सहित) के लिए राशि 3,15,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 18,55,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 13,65,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत रोडोपाली के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 152, क्षेत्रफल 1.914 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

ii. सी.ई.आर. के अंतर्गत ''ईको पार्क निर्माण (Ecological Park)'' (नीम, बरगद, बेल, कदम, जामुन, पीपल, आंवला, सीसम, अर्जुन आदि) 200 नग वृक्षारोपण हेतु पौधों के लिए राशि 1,00,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,36,000 रूपये, खाद के लिए राशि 20,000 रूपये, सिंचाई (बोरवेल सहित) के लिए राशि 2,00,000 रूपये, तथा रख–रखाव आदि (गेट सहित) के लिए राशि 2,20,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 6,76,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,65,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत रोडोपाली के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 159, क्षेत्रफल 0.182 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत ''ईको पार्क निर्माण (Ecological Park)'' (नीम, बरगद, बेल, कदम, जामुन, पीपल, आंवला, सीसम, अर्जुन आदि) 1,000 नग वृक्षारोपण हेतु पौधों के लिए राशि 5,00,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,28,000 रूपये, खाद के लिए राशि 50,000 रूपये, सिंचाई (बोरवेल सहित) के लिए राशि 2,00,000 रूपये, तथा रख–रखाव आदि (गेट सहित) के लिए राशि 3,45,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 14,23,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,65,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा मां बंजारी मंदिर समिति, तराईमल के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 2/3, क्षेत्रफल 1.036 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iv. सी.ई.आर. के अंतर्गत ''तालाब के सौन्दरीयकरण'' (नीम, बरगद, बेल, कदम, जामुन, पीपल, आंवला, सीसम, अर्जुन आदि) 500 नग वृक्षारोपण हेतु पौधों के लिए राशि 2,50,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,80,000 रूपये, खाद के लिए

राशि 50,000 रूपये, सिंचाई (गेट सहित) के लिए राशि 50,000 रूपये, तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 20,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 6,50,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,65,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा मां बंजारी मंदिर समिति, तराईमल के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 35, क्षेत्रफल 0.858 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

19. समिति का मत है कि ईको पार्क (Ecological Park) में आवश्यकतानुसार वाटर बॉडी का भी निर्माण किया जाए तथा ऑक्सीजोन के रूप में विकसित किया जाए। ईको पार्क निर्माण की प्रगति की जानकारी अर्धवार्षिक पालन प्रतिवेदन में दी जाए। एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 11/04/2022 एवं संशोधित ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 30/05/2022 के तहत् **Expansion of Karwahi Open cast Coal Mine (Gare Palma IV/7 Coal Mine) production capacity from 1.44 MTPA to 1.68 MTPA (Stage –II: 40% expansion) within the existing Mine lease** हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

21. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि मेरी खदान में किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब इत्यादि में प्रवाहित नहीं किया जा रहा है। मेरे द्वारा खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटतम जल निकायों को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी. एवं प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब के संरक्षण और संवर्धन हेतु निम्न उपाय किए जायेंगे–

i. आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है अर्थात् किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत नाला, तालाब इत्यादि में प्रवाहित नहीं किया जावेगा।

ii. खदान कार्यालय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोख गड्ढे प्रदान किए जाएंगे।

iii. सतही जल के संरक्षण के लिए बदान के चारों ओर गारलैंड ड्रेन व सेटलिंग टैंक के द्वारा उपचारित करके ही अन्य स्रोत में छोड़ा जावेगा।

iv. खदान के अंदर वर्षा के द्वारा संचित जल को उपचारित करके आवश्यकतानुसार ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जावेगा।

v. खदान के माईन बाउंड्री में चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।

vi. यथासंभव तालाब एवं नालों के किनारों पर वृक्षारोपण किया जावेगा।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

29. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन के लिए पर्यावरण के गाइडलाईन के अनुसार पर्यावरण समिति का गठन किया गया है जिस पर एक पर्यावरणविद की नियुक्ति की गयी है।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान के माईन बाउंड्री में चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य है।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि धूल (डस्ट) के निराकरण के लिए टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य है।

34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खनिज परिवहन हेतु रेल एवं रोड तारपोलिन से ढककर किया जा रहा है, जिससे रास्ते में वहान से खनिज ना गिरे।

35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जावेगा जिससे स्कूल अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।

36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में कैंप लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है।

37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि अध्ययन क्षेत्र में पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के AIR MODELLING के परिणामों के अनुसार स्टडी क्षेत्र का ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन CPCB के मानकों के भीतर पाए गए हैं अतः आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल आदि पर PM–10 का प्रभाव नगण्य होगा।

38. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि धूल एवं ब्लास्टिंग आदि से होने वाले प्रभावों के लिए DGMS से रजिस्टर्ड ब्लास्टर द्वारा नियमानुसार कम तीव्रता वाले नियंत्रित विस्फोट की तकनीक अपनाकर कम किया जावेगा। जिससे ब्लास्टिंग के कारण आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होगा।

39. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि सड़कों का उचित रख–रखाव एवं धूल आदि से सुरक्षा हेतु नियमित जल छिड़काव किया जा रहा है, अतः रोड, आबादी स्कूल आदि पर धूल का प्रभाव नगण्य है।

40. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि अध्ययन क्षेत्र में पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के NOISE MODELLING के अनुसार परिवहन, तथा विभिन्न ध्वनि प्रशिक्षण केन्द्रों के संयुक्त परिणाम, रात एवं दिन में CPCB के मानकों के भीतर पाये गए। अतः आबादी क्षेत्र स्कूल एवं अस्पताल पर प्रभाव नगण्य होगा।

41. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि CER के तहत् प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण कर लेने के उपरांत सभी संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, जियोटेग फोटोग्राफ सहित जानकारी पर्यावरण स्वीकृति हेतु जमा किए जाने वाले अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित कर प्रस्तुत किया जावेगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 11/04/2022 तथा दिनांक 30/05/2022 के अनुसार Para 7 (II) (a) के तहत् खदान ग्राम–करवाही, खम्हरिया, सराईटोला, ढोलनारा, एवं बजरमुड़ा,

तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ में कुल क्षेत्रफल 277.10 हेक्टेयर में Expansion of Karwahi Open cast Coal Mine (Gare Palma IV/7 Coal Mine) production capacity from 1.44 MTPA to 1.68 MTPA (Stage –II: 40% expansion) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई। इसके अतिरिक्त निम्न शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall obtain CTE/CTO from Chhattisgarh Environment Conservation Board for Coal production capacity 1.68 MTPA.

ii. Project proponent shall made CER fund as CER fund as follows:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)**	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund allocated (in Lakh Rupees)
8098	1%	80.98	Following activities at Village- Rodopaali, Janpad Panchayat Tamnar, Dist-Raigarh, Chhattisgarh.	
			Development of ECO Park	32.20
			Development of ECO Park	15.41
			Total (A)	**47.61**
			Following activities at Village- Taraimaal, Maa Banjari Mandir Samiti, Tehsil- Gharghoda, Dist-Raigarh, Chhattisgarh.	
			Development of ECO Park	22.88
			Plantation around Village Pond	15.15
			Total (B)	**38.03**

			Grand Total	**85.64**

iii. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned principal of the respective schools.

iv. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

v. The project proponent shall submit the wildlife conservation plan duly approved by the PCCF (Wildlife) and the project money to be deposited in State CAMPA Fund.

vi. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned principal of the respective schools/ concerned authority.

vii. Project proponent shall ensure to develop a Greenbelt consisting of 3-tier plantation of width not less than 7.5 meter (not less than 8.6 Hectare) all along the mine lease area. Project proponent shall do plantation over reclaimed area as per the above proposal. The green belt comprising a mix of native species (endemic species should be given priority) shall be developed all along the major approach/ coal transportation roads.

viii. Project proponent shall form a tripartite committee (Representative of Industry, Representative of District administration/CECB and Member of Gram panchayat) which will monitor the compliance of Green Belt within the premises, Corporate Environmental Responsibility activities etc and submit a report at every 06 months.

ix. The project proponent shall used the maximum surface water. Project proponent shall not use ground water without prior permission from the Central Ground Water Authority (CGWA). Ground water shall be used only for domestic purpose.

x. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

xi. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM10 and PM2.5 in reference to PM emission, and SO2 and NOx in reference to SO2 and NOx emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the

plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions and connected to SPCB and CPCB online server.

xii. Project authorities shall provide Occupational heath surveillance records and submitted in six- monthly monitoring report.

xiii. The project proponent shall obtain permission from district collector for cutting of green trees in the project area, without permission from collector the green shall not be cut.

xiv. The project proponent shall conduct the Biodiversity study of the project area and submit the report.

xv. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as amended).

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृतियों में अधिरोपित शर्ते यथावत् रहेंगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 18/03/2023 को संपन्न 168वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड को क्षमता विस्तार के तहत् ग्राम–करवाही, खम्हरिया, सराईटोला, ढोलनारा, एवं बजरमुड़ा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ को निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गयाः–

   i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत्, ई.एम.पी. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत ईको पार्क निर्माण एवं तालाब पर किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iv. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यो की जानकारी/रिपोर्ट अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   v. इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् प्रतिवर्ष किये जाने वाले इन्व्हारोंमेंट मॉनिटरिंग कार्य तथा पर्यावरणीय सलाहकार (Environmental Consultant) के

नाम सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

vi. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड को क्षमता विस्तार के तहत् ग्राम–करवाही, खम्हरिया, सराईटोला, ढोलनारा, एवं बजरमुड़ा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ में कुल क्षेत्रफल 277.10 हेक्टेयर में **Expansion of Karwahi Open cast Coal Mine (Gare Palma IV/7 Coal Mine) production capacity from 1.44 MTPA to 1.68 MTPA (Stage –II: 40% expansion)** हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:–

i. Project proponent shall obtain CTE/CTO from Chhattisgarh Environment Conservation Board for Coal production capacity 1.68 MTPA.

ii. Project proponent shall made CER fund as CER fund as follows:-

<table>
<tr><th rowspan="2">Capital Investment (in Lakh Rupees)</th><th rowspan="2">Percentage of Capital Investment to be Spent</th><th rowspan="2">Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)</th><th colspan="2">Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><th>Particulars</th><th>CER Fund allocated (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><td rowspan="5">8098</td><td rowspan="5">1%</td><td rowspan="5">80.98</td><td colspan="2">Following activities at Village- Rodopaali, Janpad Panchayat Tamnar, Dist-Raigarh, Chhattisgarh.</td></tr>
<tr><td>Development of ECO Park</td><td>32.20</td></tr>
<tr><td>Development of ECO Park</td><td>15.41</td></tr>
<tr><td>Total (A)</td><td>47.61</td></tr>
<tr><td colspan="2">Following activities at Village- Taraimaal, Maa Banjari Mandir Samiti, Tehsil- Gharghoda, Dist-Raigarh, Chhattisgarh.</td></tr>
</table>

			Development of ECO Park	22.88
			Plantation around Village Pond	15.15
			Total (B)	**38.03**
			Grand Total	**85.64**

iii. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned principal of the respective schools.

iv. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

v. The project proponent shall submit the wildlife conservation plan duly approved by the PCCF (Wildlife) and the project money to be deposited in State CAMPA Fund.

vi. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned principal of the respective schools/ concerned authority.

vii. Project proponent shall ensure to develop a Greenbelt consisting of 3-tier plantation of width not less than 7.5 meter (not less than 8.6 Hectare) all along the mine lease area. Project proponent shall do plantation over reclaimed area as per the above proposal. The green belt comprising a mix of native species (endemic species should be given priority) shall be developed all along the major approach/ coal transportation roads.

viii. Project proponent shall form a tripartite committee (Representative of Industry, Representative of District administration/CECB and Member of Gram panchayat) which will monitor the compliance of Green Belt within the premises, Corporate Environmental Responsibility activities etc and submit a report at every 06 months.

ix. The project proponent shall used the maximum surface water. Project proponent shall not use ground water without prior permission from the Central Ground Water Authority (CGWA). Ground water shall be used only for domestic purpose.

x. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

xi. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM10 and PM2.5 in reference to PM emission, and SO2 and NOx in reference to SO2 and NOx emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions and connected to SPCB and CPCB online server.

xii. Project authorities shall provide Occupational heath surveillance records and submitted in six- monthly monitoring report.

xiii. The project proponent shall obtain permission from district collector for cutting of green trees in the project area, without permission from collector the green shall not be cut.

xiv. The project proponent shall conduct the Biodiversity study of the project area and submit the report.

xv. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as amended).

Additional Conditions:-

i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

ii. सी.ई.आर. के तहत्, ई.एम.पी. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत ईको पार्क निर्माण एवं तालाब पर किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iv. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यो की जानकारी/रिपोर्ट अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

v. इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् प्रतिवर्ष किये जाने वाले इन्व्हारोंमेंट मॉनिटरिंग कार्य तथा पर्यावरणीय सलाहकार (Environmental Consultant) के नाम सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

vi. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण,
(यू) छत्तीसगढ़

पृ.क्र. 3364/एस.ई.आई.ए.ए.,छ.ग./ उद्योग/2758 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22/3/2024

प्रतिलिपि :-

1. डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पृथ्वी विंग, द्वितीय मंजिल, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली – 100003
2. एकीकृत, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) – 492002
4. डायरेक्टर, जीओलॉजी एवं माईनिंग, संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) – 492002
5. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, सेक्टर – 19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)
6. सदस्य सचिव, सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड, वेस्ट ब्लॉक–II, विंग–3, ग्राउण्ड फ्लोर, सेक्टर–1, आर.के.पुरम, नई दिल्ली – 110066
7. कलेक्टर, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. वनमण्डलाधिकारी, कार्यालय वनमण्डल रायगढ़ वनमण्डल रायगढ़ (छत्तीसगढ) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण,
(यू) छत्तीसगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by: Shri P Arun Prasad
Designation: Member Secretary
Date and Time: 4/19/2024 4:09:51 PM